[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

सा.का.नि.(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग, अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग, (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (3) में "प्रक्रिया" के स्थान पर "अतिरिक्त प्रतियां" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 5, में —

(क) उपनियम (4) में "(4)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (5) में, "(5)" कोष्ठक और अंक के स्थान पर "(4)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में "के कागज" के स्थान पर "के मोटे कागज" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 16 में "अपील को पुनःग्रहण" शब्दों के स्थान पर "अपील पुनःग्रहण" शब्द रखे जाएंगे ;

6. उक्त नियमों के प्ररूप 1 में,

(क) पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"9 ईप्सित अनुतोष-- ऊपर पैरा 7 में उल्लिखित तथ्यों की दृष्टि से अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करता है ।"

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

7. उक्त नियमों के प्ररूप 4 के पैरा 1 में "पारित आदेश से" शब्दों के स्थान पर "पारित इस आदेश से" शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण
भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 533
तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए।

(फा.सं. 7–12/2006–एमसी)

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली–110064.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग, नई दिल्ली।

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार